उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 4138 अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / S-II(Medical) दिनांकः 29/08/26

कार्यालय—ज्ञाप

एतद्द्वारा **"अनमोल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एवं पंचकर्मा इन्सटीट्यूट, बल्लुपुर चौक, देहरादून"** को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों / सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य / पारिवारिक पेंशनर्स को कारपोरेशन नियमानुसार उक्त चिकित्सालय में नियमानुसार वाह्य रोगी / आन्तरिक रोगी के रूप में चिकित्सा / उपचार कराये जाने पर हुये चिकित्सा—व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है :—

1— चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 2088—एनजी / 11 / एसईबी0(चतुर्थ)—29—एनजी—11 / 78,दिनांक 24—05—78, 5731 / निदे0(मा0सं0) उपाकालि / अनु0—का0—ई / एम—1, दिनॉक 22—08—06 एवं समय—समय पर जारी एतद्विषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों / प्रतिबन्धों / शर्तों के आधीन अनुमन्य होगी।

2— उक्त चिकित्सालय नियमानुसार भर्ती / बाह्य रोगी के रूप में **सी0जी0एच0एस0** की दरों पर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करेगा।

3— उक्त चिकित्सालय की मान्यता आदेश निर्गमन की तिथि से **दिनांक 31.03.2027** तक की अवधि के लिए मान्य होगी ।

4— उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगायेगा जो यह दर्शाएगा — "उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों / सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य / पारिवारिक पेंशनर्स के लिए अधिकृत चिकित्सालय" ।

5— चिकित्सालय द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें निम्न प्रविष्टियां अनिवार्यतः की जायेंगी :—

(1) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग ।
(2) यदि रोगी स्वयं कर्मचारी / अधिकारी नहीं है, तो उसके पिता / पति का नाम और रोगी से सम्बन्ध। (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति में)
(3) चिकित्सालय मे भर्ती एवं डिस्चार्ज की तिथि
(4) कर्मचारी का वेतनमान तथा तैनाती स्थान ।
(5) रोग का विवरण ।
(6) कुल प्राप्त की गयी राशि ।
(7) निगम अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर ।

उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी ।

क्रमशः—.......................2

6– प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित–प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा–बीजकों के भुगतान की प्रक्रियाा यथावत रहेगी।

7– उपाकालि में लागू नियमों/प्राविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है।

8– कॉरपोरेशन चाहे तो कॉरपोरेशन हित में अस्पताल को बिना कारण बताये पूर्व सूचित करते हुये कॉरपोरेशन पैनल से हटा सकता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 4138 अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0II(Medical) तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. स्टॉफ ऑफिसर–I, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0कॉ0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक(वित्त/परिचालन/परियोजना)उपाकालि,वि0कॉ0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. स्टाफ आफिसर, अधिशासी निदेशक(मा0सं0) उपाकालि, वि0कॉ0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, उपाकालि..।
5. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि,..।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि..।
8. अधिशासी अभियन्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उपाकालि, वि0कॉ0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन देहरादून को कॉरपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
9. मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
10. अनमोल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एवं पंचकर्मा इन्सटीट्यूट, बल्लुपुर चौक, देहरादून
11. मेडिकल कट फाइल।

(जितेन्द्र सिंह)
उपमहाप्रबन्धक(मा0सं0)